International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

जनजातीय में शासकीय योजनाओं की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला के विशेष संदर्भ में

राजेश कुमार मारकण्डेय

समाजशास्त्र विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेंरठ (उ.प्र.)

सारांशः
शासकीय योजना के अंतर्गत संविधान में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए किए गए विभिन्न कानूनी प्रावधानों तथा सुरक्षाओं के विषय में योजनाओं का निर्माण किया गया है । अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 15 एवं 16 में (जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है) अनुच्छेद 244 राज्य को यह शक्ति देता है कि वह अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रबंध करें । अनुच्छेद 275 – 1 राज्य , विशेष रूप से केन्द्र सरकार को जनजाति के विकास के लिए आर्थिक उपाय जो उनके विकास में काम आए । इस तरह हमें राज्य से वैधानिक एवं आर्थिक उपायों के रूप में सभी सुविधाऍं उपलब्ध हो जाती है । संविधान की पांचवी अनुसूची में राज्यपाल को एक अनोखा अधिकार दिया गया है । भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत सारे उपायों का प्रावधान करता है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 46 में दिए गए उन नीति निर्देशक सिद्वान्तो को लागू करने की सुविधाए उपलब्ध कराना है राज्य समाज के कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसुचित जातियों एवं जनजातियों के लोगो की शिक्षा एवं उनके आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा एवं उन्हे सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा ।

की वर्ड :– सुरक्षा, संरक्षण, वैधानिक एवं आर्थिक उपाय, परिवर्तन ।

प्रस्तावना : –भारतीय समाज का निर्माण करनें वाले सभी समूहों और समुदायों की विशेषताओं में आज तेजी से परिवर्तन हो रहा है । लेकिन अनेक मानव समुदाय आज भी ऐसे है कि जिन्होने काफी सीमा तक अपनी मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाये रखा है । अपनी परम्परागत, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तथा न्यायिक विशेषताओ के कारण इन समुदायों का सामाजिक संगठन , परिवार – व्यवस्था , प्रथाएँ कानून , नातेदारी व्यवस्था तथा धार्मिक संगठन सभ्य कहे जाने वाले सामाजो से आज भी बहुत भिन्न है । यह मानव समुदाय अपनी प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते है । जंगलो पहाड़ी प्रदेशो अथवा सीमान्त क्षेत्रों में रहने के कारण इनका जीवन आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है । इसी कारण ऐसे समुदायों को हम जनजाति , आदिम अथवा वन्य जाति जैसे शब्दों के द्वारा सम्बोधित करते है । जनजातियों की प्रमुख विशेषता यह है कि बाहरी समुहो द्वारा किए जाने वाले शोषण और स्वयं उनके समुदाय में होने वाले सामाजिक परिवर्तन के बाद भी उन्होने अपनी पहचान को बनाये रखा है । लेकिन स्वतंत्रता के बाद जनजातियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं के कारण जीवन में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न हुए है । इस आधार पर यह आवश्यक हो जाता है कि जनजाति की अवधारणा और विशेषताओ पर संक्षेप में विचार करके उन संवैधानिक प्रावधानों का मूल्यांकन किया जाए जो जनजातीय समुदायों में परिवर्तन लाने में सबसे अधिक प्रभावपूर्ण सिद्व हुए है ।

अध्ययन का उद्देश्य :– जनजातियों में शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक्ता का अध्ययन किया गया है ।

अध्ययन का क्षेत्र :– शोध क्षेत्र हेतु जिला बालोद के डौण्डी विकासखण्ड का चयन किया गया है । वर्तमान में डौण्डी को दो भागो में विभक्त किया गया है डौण्डी भाग एक एवं भाग दो । उद्देश्य के आधार पर जनजातीयों को देखतें हुए भाग एक का चयन किया गया है । भाग एक में कुल जनसंख्या 10486 है । जिसमें डौण्डी ब्लाक में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 5993 है । इनमें पुरूष जनजाति की जनसंख्या 2890 है । और महिला जनजाति की संख्या 3103 है । जिसमें से महिला लाभान्वितों की संख्या 1500 है । इनमें से 20% अर्थात 300 महिला उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्वति से किया गया है ।

प्रविधि एवं उपकरण :– प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है ।

तालिका 2.11
उत्तरदाताओं को शासकीय योजनाओ की जानकारी

क्र.	शासकीय योजनाओ की जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	57	19
2	नही	243	81
	कुल	300	100

तलिका क्रमांक 2.11 से स्पष्ट होता है कि 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं को शासकीय योजनाओ के बारे में जानकारी नही है केवल 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं को शासकीय योजनाओ के बारे में जानकारी है । अतः इससे स्पष्ट होता है कि शासन की योजनाओ की जानकारी आम जनता तक नही पहुँच पाती और इस जानकारी के अभाव के कारण लोग योजनाओं का लाभ उठा नही पातें ।

तालिका 2.12
उत्तरदाताओं को शासकीय योजनाओ के बारे में जानकारी का साधन

क्र.	शासकीय योजनाओ की जानकारी का साधन	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सरपंच	111	37
2	सचिव	29	9.7
	कोटवार	0	0
	सरकारी अधिकारी	0	0
	जनप्रतिनिधि	160	53.3
		300	100

तलिका क्र. 2.12 से ज्ञात हुआ कि 53.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं को शासकीय योजनाओ के बारे में जानकारी जनप्रतिनिधि के माध्यम से ज्ञात होता है । 37 प्रतिशत उत्तरदाताओ को ग्राम पंचायत के माध्यम से जानकारी होता है केवल 9.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सचिव के द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधि के द्वारा व्यापक मात्रा में किया जा सकता है इसलिए योजनाओं की जानकारी देने हेतु गांव के लोगों को ही जिम्मेदारी देकर घर घर तक योजनाओं के बारे में जानकारी देने हेतु प्रेरित करना चाहिए ।

तालिका 2.13
शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार

क्र.	शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	11	3.7
2	नही	289	96.3
	कुल	300	100

तालिका क्र. 2.13 से ज्ञात हुआ कि 96.3 प्रतिशत उत्तरदाताओ ने कहा कि शासकीय योजनाओं की किसी भी प्रकार प्रचार – प्रसार नही होता है एवं 3.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं नें शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार होता है कहा । इससे स्पष्ट होता है कि शासकीय योजनाओं का प्रचार – प्रसार मे कमी होने के कारण उत्तरदाताओं में जानकारी का अभाव हैं।

निष्कर्ष :– शासकीय योजनाओं के विश्लेषण के स्तर पर यह स्पष्ट होता है कि जनजातियों तक योजनाओं के प्रसार का सार हेतु ऐसे संगठन तैयार करना चाहिए जो उनके इलाके मे पहले कार्य कर चुका हो, जनजातियो तक शासकीय योजनाओं को पहुचाने के लिए उचित माध्यम निर्मित करना चाहिए जिससे जनजातियों को योजनाओं के बारे मे जानकारी प्राप्त हो सके और उसका लाभ प्राप्त कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूचि :–

1. चौधरी बी, ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, प्रोब्लमस एंड प्रोस्पेक्टस दिल्ली इंटर इंडिया पब्लिकेशन 1982
2. राहा एम. के. एंड कुमर पी. सी. ट्राइबल इंडिया वोल I एंड II , नई दिल्ली, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस 1989
3. पति आर. एन. एंड जेना बी ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, नईदिल्ली, आशीष पब्लिसिंग हाउस 1989
4. इंडिया, नेशनल कमीशन शेड्यूल्स कास्ट्रस एंड शेडयूल ट्राइबस, नईदिल्ली एंड बुक 1997

5. इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नई दिल्ली स्कीम फॉर ओ.बी.सी. नई दिल्ली , 2001
6. एनुअल रिपोर्ट 2003 – 2004 इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
7. रामाश्रय राय (1990) दलित स डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी शिप्रा पब्लिकेशन